उनवानः— सोमोती बनाम ...

...—28/2021

...यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांकः— 19.04.2021

...0 28/2021

पीठासीन अधिकारीः— पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

1. सोमोती पत्नि गिर्राज मीना जाति मीना निवासी गोरडा तहसील टोडाभीम। (सायला)

बनाम

1. रामचरण पुत्र किरोडी
2. विष्णु पुत्र रामचरण
3. सूरज पुत्र रामचरण
4. फूलवती पत्नि रामचरण

समस्त जातियान मीना निवासीयान गोरडा तहसील टोडाभीम। (गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः— श्री रामावतार शर्मा एडवोकट सायला

दिनांक 25.10.2024

निर्णय

सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार ...क ग्राम गोरडा की आराजी ख0न0 589/0.30, 726/0.33, 812/0.36 कुल किता 3 कुल रकवा ... है0 मे सायला बहिस्सा 1/3 की खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से के अन्य खातेदार गैरसायल न0 1 व दावे के प्रतिवादी न0 2 ता 4 है। दावे के गैरसायल न0 2 ता 4 का ...त आराजी से कोई संबध किसी प्रकार का नही है। उक्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ... कब्जा प्राप्त किया है। तथा विक्रेतागण का जहॉ कब्जा था वही पर सायला द्वारा कब्जा प्राप्त ...ा है सायला ख0न0 726 रकवा 0.33 है0 पर काबिज है तथा काश्त कर रही है। तथा काबिज दखील है।

यह है कि बाका दिनांक 14.02.2021 को सुबह करीब 9 बजे का है कि सायला अपनी ...ाजी ख0न0 726 की सार संभाल कर रही थी कि गैरसायल आये तथा कहने लगे कि तुम इस ...न को खाली कर दो, हम इस पर कब्जा करेगे इस पर सायला ने उन्हे समझाया कि भाईयो मैने ... बुरा किया मैने तो पैसा देकर क्रय किया है तुम खरीदलेते इतना सुनते ही गैरसायलान नाराज ...गये तथा कहने लगे कि हमको तुमने पैसा कम दिया है इसलिये हम तुम्हे ना तो जमीन पर ...जा करने देगे ना ही काश्त करने देगे, इस पर सायला द्वारा बटवारे के लिए कहा तो साफ ...ार हो गये इस प्रकार गैरसायलान अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्ठा मे कामयाब हो गये तथा ...ला को बेदखल कर दिया तो सायला को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

प्राईमाफेसी केश सायला के पक्ष मे साबित है। सुविधा का संतुलन सायला के पक्ष मे है ...थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति नही है। जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी ... होने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.13 15:50:13 IST
Reason: Self Attested

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि ...ायल को ता दावा ...ला पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी ख0न0 589/0.30, 726/0.33, ... कुल किता 3 ... रकवा 0.99 है0 मे सायला के हिस्से की भूमि के कब्जा काश्त मे व्यवधान उत्पन्न नही करे ...यला को बेदखल नही करे, आराजी को खुर्द बुर्द नही करे आराजी व ...हन व्यय नही करे, मौके रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(पूजा मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

टोडाभीम जिला—गंगापुर सिटी

Scanned with OKEN Scanner

-28/2021

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। यलान बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की

सायला वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। सायला वकील ने प्रार्थना पत्र मे ा तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी ख0न0 589/0. 726/0.33, 812/0.36 कुल किता 3 कुल रकवा 0.99 है0 मे 1/3 हिस्से की खातेदार ाकार दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार गैरसायल न0 1 व दावे के प्रतिवादी न0 4 है। दावे के गैरसायल न0 2 ता 4 का उक्त आराजी से कोई संबध किसी प्रकार का नही उक्त आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कर कब्जा प्राप्त किया है। तथा विकेतागण का कब्जा था वही पर सायला द्वारा कब्जा प्राप्त किया है सायला ख0न0 726 रकवा 0.33 है0 पर ज है तथा काश्त कर रही है। तथा काबिज एवं दखील है। अतः प्राईमाफेसी केस सायला के मे साबित होने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ता दावा फैसला पाबन्द फरमाया जावे कि ा आराजी ख0न0 589/0.30, 726/0.33, 812/0.36 कुल किता 3 कुल रकवा 0.99 है0 मे ालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ता दावा फैसला कन्फर्म किया जावे।

सायला वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन ा। पत्रावली मे शामिल ग्राम गोरडा की जमाबन्दी सम्वत 2074—77 मे आराजी ख0न0 589/0. 726/0.33, 812/0.36 कुल किता 3 कुल रकवा 0.99 है0 मे 1/3 हिस्से की, गैरसायल न0 1 वरण पुत्र किरोडी 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है, बकिया हिस्से के अन्य खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। सायला वकील ने प्रार्थना पत्र व बहस मे कथन किया है कि ला ने वर्णित आराजीयात को रजिस्टर्ड विकय पत्र से कय किया जाकर कब्जा प्राप्त किया है कन पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह साबित होता हो कि सायला वर्णित आराजी कय की है। तथा सायला ने प्रार्थना पत्र मे केवल अपने हिस्से के मुताबिक 726 वा 0.33 है0 पर कब्जा होना बताया है वर्णित आराजीयात का बिना तकास्मे के किसी एक खसरा पर कब्जा काश्त होना स्वीकार नही किया जा सकता। इसलिये प्रथम दृष्टया प्रकरण सायला के मे साबित नही है। उक्त विवेचन अनुसार सायला का आराजी तीनो खसरा नम्बरान पर कब्जा बेत नही किये जाने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नही पाया जाता है।

आदेश

अतः न्यायालय हाजा दिनांक 19.04.2021 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को रिज करते हुये सायला का प्रार्थना पत्र कब्जे के अभाव मे स्वीकार योग्य नही होने से खारिज या जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.12.18 15:30:13 IST
Reason: SelfAttested

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला-गंगापुर सिटी

Scanned with OKEN Scanner